न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/91/2025	2025/105	06.03.2025	29.04.2026

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) थानागाजी, जिला अलवर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. गोपालदास, दिनेश चन्द, मेहश चन्द पुत्रान नाथूराम,
2. भगवती पत्नी नाथूराम,
3. कमला, सीता, कंपूरी पुत्रीयान नाथूराम,
   जातियान ब्राह्मण, निवासीयान ग्राम चुरानी तहसील थानागाजी, जिला अलवर।

–अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4)
भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः–
01–श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक –वकील प्रार्थी
02– अप्रार्थी अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

तहसीलदार थानागजी से जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–14 (4) भूमि आवंटन नियम जिसके द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम चुरानी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर की आराजी खसरा न0 138 रकबा 0.04 है0 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय थानागाजी के आदेश दिनांक 13.01.1978 के द्वारा जारी आवंटन आदेश से अप्रार्थीगण गोपालदास, दिनेशचन्द, भगवती, महेशचन्द पुत्रान नाथूराम, जाति ब्राह्मण ग्राम चुरानी तहसील थानागाजी को आराजी खसरा नम्बर 138 रकबा 0.04 है0 भूमि आवंटित की गई थी। जिसका नामान्तकरण संख्या 99 स्वीकृति दिनांक 01.12.1978 के द्वारा गैर खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था।

उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट दिनांक 30.12.2024 के अनुसार आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर संवत 2047 से 2080 तक की गिरदावरी में कोई फसल का अंकन नहीं है। पड़त भूमि दर्ज है तथा आवंटी द्वारा आदिनांक तक कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। मौके पर कच्चा आवास बना हुआ है तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों/नियमों की पालना न किये जाने के कारण उक्त आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान उक्त आवंटन निरस्त किये जाने की कृपा करें।

अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जा चुके है, के बावजूद जवाब पेश नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाकर प्रार्थी की बहस सुनी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। मुताबिक रिकॉर्ड उक्त विवादित आवंटित आराजी खसरा नंबर 138 रकबा 0.04 है0 किस्म गैर मुमकिन बाडा के आवंटी/अप्रार्थीगण गोपालदास, दिनेशचन्द, भगवती, महेशचन्द पुत्रान नाथूराम, जाति ब्राह्मण सा0 देह गैर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में संलग्न नामान्तकरण संख्या 99 द्वारा खसरा नंबर 115 मि0 किस्म गैर मुमकिन पहाड का नाथूराम पुत्र गंगासहाय कौम ब्राह्मण को आवंटन का दर्ज किया गया एवं जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 259 उक्त खसरा नंबर का नामान्तकरण आवंटी के वारिसान के नाम दिनांक 05.12.2003 को स्वीकार किया गया है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2080, 2079, 2077 में कोई काश्त संबंधी अंकन नहीं है, पड़त भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी/आवंटी द्वारा द्वारा खसरा नंबर 138 रकबा 0.04 है0 में कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय से कब्जा रहा है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर मौके पर अप्रार्थी गैर खातेदार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटी/अप्रार्थी गोपालदास, दिनेशचन्द, भगवती, महेशचन्द पुत्रान नाथूराम, जाति ब्राह्मण को आवंटित की गई उक्त आराजी खसरा नम्बर 138 रकबा 0.04 है0 किस्म गै.मु.बाडा भूमि के आवंटन को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बीना महावर)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)